

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 386/2024

डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 48/2022 में

प्रभुलाल मेहरा पुत्र श्री रामनारायण, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी साकतपुरा, 4 नंबर गेट, गरीब नवाज रुई सेंटर के पास, पुलिस थाना कुन्हाड़ी, जिला कोटा (राज.) जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 48/2022, जिसका शीर्षक श्रीमती मनोरमा सैनी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य है, में एक पक्ष (प्रतिवादी संख्या 10) हैं।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- श्री रवींद्र गोस्वामी, जिला कलेक्टर कोटा, (राज.)
- श्री राजीव महर्षि, गृह सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- राजस्थान राज्य, सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर के माध्यम से

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री दीपक मित्तल श्री इंद्रजीत टाक
प्रतिवादी के लिए	:	श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता सुश्री हर्षिता ठकराल के साथ

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति श्री उमा शंकर व्यास

आदेश12/11/2024अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):

1. यह अवमानना याचिका डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 48/2022 में पारित इस न्यायालय के दिनांक 30.06.2022 और 23.09.2022 के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि श्रीमती मनोरमा सैनी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक पंचानवे वर्षीय महिला की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। उसके पास 60-80 बीघा जमीन थी, जो जनता के दुरुपयोग के लिए खुली है। पीठ ने बंद कमरे की कार्यवाही में बंदी के साथ बातचीत की। निर्देश जारी किए गए थे कि समाज कल्याण विभाग की एक महिला अधिकारी को अपना घर आश्रम जमडोली, जयपुर में बंदी की उचित देखभाल के लिए नियुक्त किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान में रखते हुए कि बंदी की संपत्ति के लिए दिखावटी लेनदेन किए जा रहे थे, राज्य को बंदी की संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश यह थे कि राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा किसी और को बंदी से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी संपत्ति के संबंध में कोई लेनदेन नहीं होगा।
3. 23.09.2022 को, बंदी की इच्छा को देखते हुए, राज्य के अधिकारियों को उसे अपना घर आश्रम जमडोली, जयपुर से विवेकानंद आश्रम, कोटा स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था और यह भी कि उसकी उचित देखभाल की जाए और आवश्यकतानुसार चिकित्सा उपचार दिया जाए। यह निर्देश दिया गया था कि बंदी को उसकी संपत्ति पर ले जाया जा सकता है ताकि उसे यह विश्वास दिलाया जा सके कि संपत्ति सुरक्षित है।
4. प्रतिवादी संख्या 8, 9 और 10 ने तर्क दिया कि वे बंदी के दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन निश्चित संबंध स्पष्ट करने में असमर्थता के कारण, उनके द्वारा उठाए गए तर्कों को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और याचिका का निपटान कर दिया गया।
5. अवमानना में याचिकाकर्ता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में प्रतिवादी संख्या 10 था।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि राज्य संपत्ति की उचित देखभाल नहीं कर रहा है और कब्जा राज्य के पास नहीं है।

7. विद्वान महाधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि संपत्ति राज्य द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई थी और याचिका लंबित रहने के दौरान बंदी का निधन हो गया। बंदी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में आदेश पारित किए गए हैं और संपत्ति का निपटान विधि के अनुसार किया जा रहा है। दिनांक 03.07.2023 का आदेश रिकॉर्ड पर रखा गया है कि बंदी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति राज्य द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई थी।

8. जीवन के अंतिम पड़ाव पर, बंदी को जीवनयापन की मूलभूत आवश्यकताएं भी प्रदान किए बिना भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था, अब लड़ाई छोड़ी गई संपत्ति के लिए है। याचिकाकर्ता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में बंदी के साथ प्रथम दृष्टया संबंध स्थापित करने में भी विफल रहा। इस स्तर पर भी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है या तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने जीवनकाल में बंदी की देखभाल या उसके कल्याण के लिए कोई कदम उठाया गया था।

9. न्यायालय के निर्देशों के गैर-अनुपालन का कोई मामला नहीं बनता है। याचिका खारिज की जाती है।

(उमा शंकर व्यास), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सिंपल कुमावत/19

क्या रिपोर्ट करने योग्य है : हाँ/नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

